पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
POWER FINANCE CORPORATION LTD.
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
(आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणित) (ISO 9001:2015 Certified)

सं.:1:05:138:II:सी

दिनांक : 21 नवंबर, 2017

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, **लिस्टिंग विभाग,** **एक्सचेंज प्लाजा,** **बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स,** **बांद्रा (ई)** **मुंबई - 400 051.**	**बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड,** **निगमित सेवा विभाग,** **फ्लोर - 25,** **पीजे टावर्स,** **दलाल स्ट्रीट,** **मुंबई - 400 001.**
कृपया ध्यान दें: सुश्री रेहाना डिसूजा, **सहायक उपाध्यक्ष**	**कृपया ध्यान दें: श्री अय्यर गोपालकृष्णन,** **महाप्रबंधक, निगमित सेवाएं**

विषय: घोषणा

महोदय/महोदया,

संयुक्त राज्य अथवा भारत में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकाशन अथवा वितरण के लिए नहीं है।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('जारीकर्ता' अथवा 'पीएफसी') जो बीएए3/स्टेबल (मूडी द्वारा), बीबीबी/स्टेबल (एस एंड पी) तथा बीबीबी-/स्टेबल (फिच) श्रेणीकृत है, ने 1933 के यू.एस. सिक्योरिटीज अधिनियम के विनियम (यथा संशोधित) ('प्रतिभूति अधिनियम') के अधीन यूएसडी द्वारा नामित बेंचमार्क आकार के 10 वर्षीय ग्रीन सीनियर अनसिक्योर्ड नोट से संबंधित 23 नवंबर, 2017 को प्रारंभ एशिया तथा यूरोप में अचल आय निवेशक बैठक की सीरीज आयोजित करने के लिए बार्कलेज, एसबीआईकैप तथा स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक को संयुक्त बुकरनर तथा संयुक्त लीड मैनेजर अधिकृत करने का प्रस्ताव किया है जो बाजार की दशाओं के अनुरूप विषयों का अनुसरण करेगा।

एफसीए/आईसीएमए स्थिरीकरण प्रयुक्त होता है।

यह घोषणा अमेरिका, भारत अथवा किसी अन्य न्यायाधिकरण में प्रतिभूतियों के विक्रय, निर्गमन अथवा अभिदान के किसी प्रस्ताव, सिफारिश अथवा आमंत्रण के किसी घटक अथवा भाग का समावेश नहीं करती है। अमेरिका, भारत अथवा किसी अन्य न्यायाधिकरण के किसी राज्य के प्रतिभूति अधिनियम अथवा प्रतिभूति कानूनों के अधीन कोई भी प्रतिभूतियां न तो पंजीकृत हैं और न ही की जाएंगी। प्रतिभूति अधिनियम तथा लागू राज्य अथवा स्थानीय प्रतिभूति नियमों की पंजीकरण वांछनीयताओं से छूट-प्राप्त अथवा लेन-देन को छोड़कर किसी भी प्रतिभूति का संयुक्त राज्य में प्रस्ताव, विक्रय अथवा सुपुर्दगी नहीं की जा सकती है। संयुक्त राज्य में प्रतिभूतियों का कोई सार्वजनिक प्रस्ताव ऐसी विवरणिका के माध्यम से किया जाएगा जिसे जारीकर्ता से प्राप्त किया गया हो तथा जिसमें कंपनी तथा प्रबंधन एवं वित्तीय विवरणों के विषय में व्यापक जानकारी प्रदान की गई हो। संयुक्त राज्य, भारत अथवा किसी अन्य प्राधिकरण में कोई सार्वजनिक प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है जहां ऐसे प्रस्ताव प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हैं या अवैधानिक हो सकते हैं। न तो यह प्रस्ताव और न इसका कोई अंश संयुक्त राज्य, भारत अथवा किसी अन्य न्यायाधिकरण में भेजा या पारेषित किया जा सकता है जहां ऐसा करना असंवैधानिक है। यह घोषणा कंपनी अधिनियम, 1956, यथा संशोधित, कंपनी अधिनियम, 2013, यथा संशोधित अथवा भारत के किसी

अन्य प्रयोज्य कानूनों के अर्थ में प्रतिभूतियों के किसी प्रस्ताव (चाहे वह सार्वजनिक हो अथवा निजी माध्यमों से हो) का निर्माण नहीं करती है। इन निषेधों का अनुपालन करने में असफल रहने का परिणाम प्रतिभूति अधिनियम अथवा अन्य न्यायाधिकरणों के प्रयोज्य कानूनों का उल्लंघन होगा। इस घोषणा अथवा इसमें निहित सूचना द्वारा किसी प्रकार के धन, प्रतिभूतियों अथवा अन्य बातों को अध्येषित नहीं किया जा रहा है और यदि इस घोषणा अथवा इसमें निहित सूचना के प्रत्युत्तर में कुछ भेजा जा रहा है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रतिभूतियों को (i) सिंगापुर के प्रतिभूति एवं भावी अधिनियम, अध्याय 2 ('एसएफए') के अधीन किसी संस्थागत निवेशक, (ii) एसएफए की धारा 275(1) के अनुसार किसी प्रासंगिक व्यक्ति, अथवा धारा 275(1ए) के अनुसार किसी व्यक्ति तथा धारा 275 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप अथवा (iii) एसएफए के अनुरूप, तथा अन्य किसी प्रयोज्य प्रावधान की शर्तों के अनुसार को छोड़कर सिंगापुर में किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अभिदान अथवा क्रय करने हेतु आमंत्रित का न तो विषय बनाया जा सकता है और न ही विक्रय हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है।

श्रेणीकरण प्रतिभूतियों को क्रय करने, विक्रय करने अथवा धारित करने का अनुमोदन नहीं है और श्रेणीकर्ता एजेंसी द्वारा किसी भी समय इसका निलंबन, अवश्रेणीकरण अथवा प्रत्याहार किया जा सकता है।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com